

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 18/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 03.03.2020

का.आ. (ई) माननीय सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश में निहित निर्देशों के अनुसार, जैसा कि निम्न तालिका के स्तम्भ (5) में उल्लेखित है तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना एतदद्वारा अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई को तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लेखित नोटिसियों को तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्याय निर्णयन हेतु समान न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्रं. सं.	कारण बताओ नोटिस सं. और दिनांक	कारण नोटिस निर्गमित गया	बताओ किसको किया गया	कारण नोटिस द्वारा किया गया	बताओ किसके निर्गमित	माननीय सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल का आदेश सं और दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	फ़ा. सं. DRI/BZU/F/02/2003/8492 से 8502 और 8504 से 8505 दिनांक 03.11.2003	मै साहिल इंडस्ट्रीज़, मुंबई और अन्य		अपर महानिदेशक, राजस्व निदेशालय, मुंबई	आसूचना	A/3731-3733/15/CB दिनांक 24.11.2015
2.	फ़ा. सं. DRI/BZU/F/02/2003/Pt1/8617 to 8625 दिनांक 10.11.2003					

3.	फ़ा. सं. <u>DRI/BZU/E/11/96</u> (S/10-43/98.VII) दिनांक 06.04.1998	मै एस आतम सिंह कोहली और अन्य.	पूर्व आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), मुंबई	A/486-487/WZB/06-C- II(CSTB) दिनांक 31.05.2006
----	--	----------------------------------	--	--

[फ़ा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-9/2020]

(पारस मल सांखला)  
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
2. प्रधान अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी को भेज दें।